न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
पंचायत रिवीजन संख्याः 11/2022
दायर दिनांकः 17.06.2022
निर्णय दिनांक 23.09.2025

—: अनवान :—

श्री लक्ष्मीनारायण पिता देवीलाल जी सनाढ्य आयु वयस्क निवासी राज्यावास तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द हाल उदयपुर — **प्रार्थी/निगराकार**

बनाम

1. श्रीमती इन्द्रा देवी पुत्री आनन्दीलाल जी ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी आउट साईट अम्बामाता पोल, हनुमान मन्दिर के पास, पुष्प वाटिका, उदयपुर
2. ग्राम पंचायत राज्यावास जरिये सरपंच ग्राम पंचायत राज्यावास पंचायत समिति राजसमन्द — **गैर निगराकारगण**

ग्राम पंचायत राज्यावास पंचायत समिति राजसमन्द द्वारा पट्टा संख्या 038 दिनांक 16.11.2021 को जारी किया के विरूद्ध निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम

उपस्थितः—

1— श्री श्यामसुन्दर पालीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2— अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित (एकपक्षीय कार्यवाही)
3— श्री अब्दुल हकिम चुड़ीघर, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02

:: निर्णय ::

निगराकार ने निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97, पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत निगरानी पट्टा विलेख संख्या 038 दिनांक 16.11.2021 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत राज्यावास द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में अवैध रूप से विधि विरूद्ध पट्टा जारी किया है। प्रार्थी का पुश्तैनी मकान गांव राज्यावास में स्थित है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास दिनांक 07.12.2020 को हो गया। उनकी मृत्यु पश्चात प्रार्थी निगराकार ने विपक्षी संख्या 2 के यहां दिनांक 28.01.2021 को आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा पिता जी ने पुश्तैनी मकान के पट्टे के सम्बन्ध में आवेदन किया उसकी प्रक्रिया रोकी जावें, प्रार्थी उनका वारिस है और अनावश्यक

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

नामान्तरकरण की प्रक्रिया बढेगी। उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 2 के यंहा पर प्रार्थी निगराकार ने दिया। जिसकी प्राप्ति रसीद भी आपत्ति प्रार्थना पत्र की फोटो कॉपी पर ग्राम पंचायत द्वारा दी गई। निगराकार किडनी रोग से ग्रस्त तथा लगातार डायलेसिस पर जीवित है। बिमारी के कारण लगातार उदयपुर में ही निवासरत रहना पड रहा है। निगराकार को राज्यावास गांव से जानकारी हुई कि निगराकार के मकान का कतिपय भूमाफिया अवैध रूप से विपक्षी संख्या एक के नाम ग्राम पंचायत राज्यावास से मिलिभगत कर पट्टा बनवा रहे है तो प्रार्थी ग्राम पंचायत राज्यावास में गया तथा पट्टा जारी नही करने एवं पट्टे हेतु प्रस्तुत पत्रावली के बारे में जानकारी के लिए कहा तो प्रार्थी को नकले देने से इन्कार हो गये तथा ग्राम पंचायत ने प्रतिलिपी का प्रार्थना पत्र लेने से ही इन्कार हो गये। इस पर प्रार्थी ने श्रीमान जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द को दिनांक 29.11.2021 को ग्राम पंचायत राज्यावास के नाजायज कृत्यों के सम्बन्ध में एवं नकले दिलवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया तथा अन्य विभागो में भी प्रतिलिपी सुचनार्थ भिजवाये गये। इसके बावजुद भी विपक्षीगण ने फर्जी पट्टे का दिनांक 30.11.2021 को पंजीयन करवा दिया। विपक्षी संख्या 2 द्वारा बडी मुश्किल से काफी समय बाद केवल मात्र पट्टे हेतु पेश पत्रावली की नकल दी गई आक्षेपित पट्टे की नकल नही दी गई। निगराकार किडनी रोग से ग्रसित होने पर डायलेसिस के बाद आया और उपपंजीयक कुंवारिया से पट्टे हेतु नकल निकलवाई जो प्राप्त होने पर प्रार्थी यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की है। विपक्षी संख्या एक अवैध रूप से निगराकार के पिता की पत्नि बन अपने आप को ग्राम राज्यावास का निवासी होना बता मकान पर 47 वर्षों से कब्जा होने के गलत आधारो पर पट्टा प्राप्त किया जो की अवैध है। प्रार्थीया ने जो दस्तावेज पेनकार्ड एवं आधार कार्ड पेश किया दोनो ही इन्द्रादेवी पिता आनन्दीलाल जी सनाढ्य के नाम के है तथा स्थायी पत्ता भी उदयपुर का अंकित होने के बावजुद भी प्रार्थी के पुश्तैनी मकान का पट्टा अप्रार्थी संख्या एक के पक्ष में ग्राम पंचायत राज्यावास ने मिलीभगत कर जारी करने में भूल की है। विपक्षी संख्या एक ने गलत आधारो पर प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2021 को पेश किया। उसमें जो पडौस अंकित किये उसमें तथा पटवारी द्वारा जो पर्चा प्रस्तुत हुआ वह तथा ग्राम पंचायत द्वारा जो मौका पर्चा बना उनके पडौस एक नही होकर पडौसो में अन्तर होने के बावजुद भी ग्राम पंचायत ने मिलीभगत कर फर्जी रूप से प्रार्थी की सम्पति का पट्टा विपक्षी संख्या एक को दिया। पत्रावली में दो अनापत्ति प्रमाण पत्र है जिनमें एक नोटेरी अशोक जी पालीवाल द्वारा नोटेरी किया गया है जिसमें पुराने घर का पट्टा प्राप्त करने पर स्व0 देवीलाल जी के वारिशान की सहमति के सम्बन्ध में है। स्व0 देवीलाल जी का वारिसान एक मात्र प्रार्थी पुत्र है उससे पोशिदा रख किसी लोकेशचन्द्र पुर्बिया निवासी उदयपुर के हस्ताक्षर करा उस अनापति पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत ने फर्जी व अवैध रूप से पट्टा जारी कर दिया है। दुसरा अनापति प्रमाण पत्र मोहल्लेवासीयों की ओर से होना बता प्रस्तुत किया गया जो फर्जीवाडा कर किया गया। पट्टा प्राप्ति का आवेदन दिनांक 11.10.2021 का है तथा निगराकार के पिता देवीलाल जी का स्वर्गवास दिनांक 07.12.2020 को ही हो गया। इसके बावजुद भी इस अनापति पत्र पर प्रार्थी के पिता स्व0 देवीलाल जी का फोटो एवं मृतक देवीलाल जी के हस्ताक्षर कर प्रार्थी से दुश्मनी रखने वाले कतिपय भुमाफियों ने फर्जीवाडा कर फर्जी अनापति पत्र पेश करा अवैध पट्टा जारी कराया है। जब प्रार्थी के पिता स्व. देवीलाल जी सनाढय का स्वर्गवास दिनांक आक्षेपित पट्टा आवेदन से पूर्व ही दिनांक 07.12.2020 को हो गया है तो उनकी मृत्यु के एक वर्ष बाद मृतक देवीलाल जी का फोटो एवं मृतक देवीलाल जी के हस्ताक्षर किये गये जो वह स्पष्ट रूप से फर्जीवाडा किया गया है प्रार्थी ने ग्राम पंचायत राज्यावास में आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रार्थी के पिता स्व.

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

देवीलाल जी के स्वर्गवास के तुरन्त बाद ही ग्राम पंचायत में पेश कर रखा है जो ग्राम पंचायत के पास था। उसके बावजुद भी बिना प्रार्थी को सूचित किये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ग्राम पंचायत राज्यावास ने विपक्षी संख्या एक एवं भुमाफियों से मिलिभगत कर फर्जी पट्टा जारी किया है अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत राज्यावास द्वारा विपक्षी संख्या एक के पक्ष में जारी किये गये उक्त पट्टा संख्या 038 दिनांक 16.11.2021 को अपास्त फरमाया जावें।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल जोशी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। परन्तु अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना के नियत पेशी पर अनुपरस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 16.09.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल हकिम चुड़ीघर उपस्थित हुए तथा ग्राम पंचायत राज्यावास से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने नियमानुसार कार्यवाही कर विपक्षी संख्या एक के पक्ष में पट्टा जारी किया है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु होना एवं ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना स्वीकार है। किन्तु प्रार्थना पत्र के संबंध में जाँच में यह पाया गया कि प्रार्थी के स्वर्गीय पिता ने पुश्तैनी मकान के पट्टे हेतु कोई आवेदन नहीं किया हैं जिस पर उसके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत राज्यावास ने विपक्षी संख्या एक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी किया गया, विपक्षी संख्या एक प्रार्थी की माता है। विपक्षी संख्या 01 निगराकार के पिता की विवाहिता पत्नि है, एवं निगराकार के पिता भी विपक्षी संख्या 01 के साथ उदयपुर रहते थे, जिसका प्रमाण भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र है इसके अतिरिक्त निगराकार के पिता की राजस्व गॉव राज्यावास की कृषि भूमि जिसके खाता सं. 332 नये व 331 पुराने है, का इन्तकाल विपक्षी संख्या 01 के नाम खोला जाकर मृतक देवीलाल पिता मोहनलाल जी सनाढय की कृषि भूमि उसकी पत्नी इन्द्रा देवी के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी हक से दर्ज हुई है। मौके पर मकान पुराना बना होकर उसका पट्टा बनाया गया। मकान का फोटोग्राफ अनापति प्रमाण पत्र पर चस्पा है। अनापति प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी कर बाद गुजरने मयाद किसी की आपति नहीं आने पर ग्राम पंचायत के द्वारा अग्रिम कार्यवाही की गई है। अनापति प्रमाण पत्र पर जानकारी के लिये मृतक का फोटो एवं उसके मकान का फोटो चस्पा किया है, फोटो पर मृतक का पहचान के लिये नाम लिखा गया है, न कि हस्ताक्षर किये गये, सम्पूर्ण कार्यवाही स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए विधिवत रूप से पूर्ण की गई है। ग्राम पंचायत ने नियमानुसार कार्यवाही की है, कोई तथ्य नहीं छिपाये है, निगरानी याचिका, की कलम संख्या तीन से स्पष्ट है कि निगराकार किडनी के रोग से ग्रसित है, अक्सर उदयपुर निवासरत रहता है उससे स्पष्ट हैं कि वह उदयपुर में रहने से ग्राम पंचायत से जानकारी नहीं ले सका एवं अपनी उदासीनता व उपेक्षा को छीपा कर गलत रूपेण ग्राम पंचायत पर दोषारोपण कर रहा है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि प्रार्थी निगराकार की निगरानी याचिका सव्यय खारिज फरमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने अपनी निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का पुश्तैनी मकान गांव राज्यावास में स्थित है। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास दिनांक 07.12.2020

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

को हो गया। उनकी मृत्यु पश्चात प्रार्थी निगराकार ने विपक्षी संख्या 02 के यहां दिनांक 28.01.2021 को आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा पिता जी ने पुश्तैनी मकान के पट्टे के सम्बन्ध में आवेदन किया उसकी प्रक्रिया रोकी जावें, प्रार्थी उनका वारिस है उक्त प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 02 के यंहा पर प्रार्थी निगराकार ने दिया। जिसकी प्राप्ति रसीद भी आपत्ति प्रार्थना पत्र की फोटो कॉपी पर ग्राम पंचायत द्वारा दी गई। निगराकार किडनी रोग से ग्रस्त तथा लगातार डायलेसिस पर जीवित है। बिमारी के कारण लगातार उदयपुर में ही निवासरत रहना पड रहा है। निगराकार को राज्यावास गांव से जानकारी हुई कि निगराकार के मकान का कतिपय भूमाफिया अवैध रूप से विपक्षी संख्या एक के नाम ग्राम पंचायत राज्यावास से मिलिभगत कर पट्टा बनवा रहे है तो प्रार्थी ग्राम पंचायत राज्यावास में गया तथा पट्टा जारी नही करने एवं पट्टे हेतु प्रस्तुत पत्रावली के बारे में जानकारी के लिए कहा तो प्रार्थी को नकले देने से इन्कार किया तथा ग्राम पंचायत ने प्रतिलिपी का प्रार्थना पत्र लेने से ही इन्कार हो गये। इस पर प्रार्थी ने श्रीमान जिला कलक्टर महोदय राजसमन्द को दिनांक 29.11.2021 को ग्राम पंचायत राज्यावास के नाजायज कृत्यों के सम्बन्ध में एवं नकले दिलवाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया तथा अन्य विभागो में भी प्रतिलिपी सुचनार्थ भिजवाये गये। इसके बावजुद भी विपक्षीगण ने फर्जी पट्टे का दिनांक 30.11.2021 को पंजीयन करवा दिया। विपक्षी संख्या 02 द्वारा बडी मुश्किल से काफी समय बाद केवल मात्र पट्टे हेतु पेश पत्रावली की नकल दी गई आक्षेपित पट्टे की नकल नही दी गई। विपक्षी संख्या एक ने गलत आधारो पर प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2021 को पेश किया। उसमें जो पडौस अंकित किये उसमें तथा पटवारी द्वारा जो पर्चा प्रस्तुत हुआ वह तथा ग्राम पंचायत द्वारा जो मौका पर्चा बना उनके पडौस एक नही होकर पडौसो में अन्तर होने के बावजुद भी ग्राम पंचायत ने मिलीभगत कर फर्जी रूप से प्रार्थी की सम्पति का पट्टा विपक्षी संख्या एक को दिया। पत्रावली में दो अनापत्ति प्रमाण पत्र है जिसमें पुराने घर का पट्टा प्राप्त करने पर स्व. देवीलाल जी के वारिशान की सहमति के सम्बन्ध में है। स्व. देवीलाल जी का वारिसान एक मात्र प्रार्थी पुत्र है उससे पोशिदा रख किसी लोकेशचन्द्र पुर्बिया निवासी उदयपुर के हस्ताक्षर करा उस अनापति पत्र के आधार पर ग्राम पंचायत ने फर्जी व अवैध रूप से पट्टा जारी कर दिया है। दुसरा अनापति प्रमाण पत्र मोहल्लेवासीयों की ओर से होना बता प्रस्तुत किया गया जो फर्जीवाडा कर किया गया। पट्टा प्राप्ति का आवेदन दिनांक 11.10.2021 का है तथा निगराकार के पिता देवीलाल जी का स्वर्गवास दिनांक 07.12.2020 को ही हो गई। इसके बावजुद भी इस अनापति पत्र पर प्रार्थी के पिता स्व. देवीलाल जी का फोटो एवं मृतक देवीलाल जी के हस्ताक्षर कर कतिपय भुमाफियों ने फर्जीवाडा कर फर्जी अनापति पत्र पेश करा अवैध पट्टा जारी कराया है। जब प्रार्थी के पिता स्व० देवीलाल जी सनाढय का स्वर्गवास दिनांक आक्षेपित पट्टा आवेदन से पूर्व ही दिनांक 07.12.2020 को हो गया है तो उनकी मृत्यु के एक वर्ष बाद मृतक देवीलाल जी का फोटो एवं मृतक देवीलाल जी के हस्ताक्षर किये गये जो वह स्पष्ट रूप से फर्जीवाडा किया गया है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत राज्यावास द्वारा विपक्षी संख्या एक के पक्ष में जारी किये गये उक्त पट्टा संख्या 038 दिनांक 16.11.2021 को अपास्त फरमाया जावें।

अधिकवक्ता गैर निगराकार संख्या 02 ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने नियमानुसार कार्यवाही कर विपक्षी संख्या एक के पक्ष में पट्टा जारी किया है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु होना एवं ग्राम पंचायत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना स्वीकार है। किन्तु प्रार्थना पत्र के संबंध में जाँच में यह पाया

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

गया कि प्रार्थी के स्वर्गीय पिता ने पुश्तैनी मकान के पट्टे हेतु कोई आवेदन नहीं किया हैं जिस पर उसके प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम पंचायत राज्यावास ने विपक्षी संख्या एक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र विपक्षी संख्या 01 के पक्ष में पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी किया गया, विपक्षी संख्या एक प्रार्थी की माता है। विपक्षी संख्या 01 निगराकार के पिता की विवाहिता पत्नि है, एवं निगराकार के पिता भी विपक्षी संख्या 01 के साथ उदयपुर रहते थे, जिसका प्रमाण भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र है इसके अतिरिक्त निगराकार के पिता की राजस्व गॉव राज्यावास की कृषि भूमि जिसके खाता सं. 332 नये व 331 पुराने है, का इन्तकाल विपक्षी संख्या 01 के नाम खोला जाकर मृतक देवीलाल पिता मोहनलाल जी सनाढय की कृषि भूमि उसकी पत्नी इन्द्रा देवी के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी हक से दर्ज हुई है। मौके पर मकान पुराना बना होकर उसका पट्टा बनाया गया। मकान का फोटोग्राफ अनापति प्रमाण पत्र पर चस्पा है। अनापति प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी कर बाद गुजरने मयाद किसी की आपति नहीं आने पर ग्राम पंचायत के द्वारा अग्रिम कार्यवाही की गई है। अनापति प्रमाण पत्र पर जानकारी के लिये मृतक का फोटो एवं उसके मकान का फोटो चस्पा किया है, फोटो पर मृतक का पहचान के लिये नाम लिखा गया है, न कि हस्ताक्षर किये गये, सम्पूर्ण कार्यवाही स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए विधिवत रूप से पूर्ण की गई है। ग्राम पंचायत ने नियमानुसार कार्यवाही की है, कोई तथ्य नहीं छिपाये है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना हैं कि प्रार्थी निगराकार की निगरानी याचिका सव्यय खारिज फरमाई जावे।

मैंने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थी सं. 01 श्रीमती इंद्रादेवी सनाढय द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत राज्यवास को राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 157 के तहत पट्टा दिलवाने का आवेदन पत्र संलग्न है। जिस पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। पत्रावली में पटवारी हल्का राज्यावास की रिपोर्ट अंकित है। आवेदित मकान आराजी संख्या 2421 किस्म आबादी ग्राम राज्यावास में स्थित है तथा क्षैत्रफल का निर्धारण ग्राम पंचायत अपने स्तर पर करे साथ ही इसमें एक अनापति प्रमाण पत्र श्री लोकेशचन्द्र पूर्बिया का लगा हुआ है जो कि उदयपुर का निवासी है और इसे नोटेरी द्वारा दिनांक 23.09.2020 को प्रमाणित किया हुआ है। साथ ही इसमें एक और अनापति प्रमाण पत्र भी लगा हुआ है। जिस पर मृतक श्री देवीलाल का फोटो भी लगा हुआ है। तथा उसके हस्ताक्षर किये हुए है। साथ ही अन्य गवाहो श्री राधेश्याम और श्री वेणीराम के हस्ताक्षर भी किये हुए है। पत्रावली में नजरी नक्शा संलग्न है। ग्राम पंचायत की कार्यालय टिप्पणी एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। जिसमें बताये गए पड़ौस तथा पटवारी द्वारा बताये गए पड़ौसो में भिन्नता है इस स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण दिशा में पड़त भूमि बतायी गयी है जबकि पटवारी की रिपोर्ट में दक्षिण दिशा में राधेश्याम पिता दुदा जी का मकान अंकित होना लिखा गया है। पत्रावली में दिनांक 22.10.2021 का ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति आवहान पत्र जो कि समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था वो संलग्न है। साथ ही दिसम्बर 2021 का एक बिजली बिल जो श्री देवीलाल के नाम पर है पत्रावली में संलग्न है। पत्रावली में जो स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है उस पर कोई दिनांक अंकित नहीं है। साथ ही दिनांक 15.10.2021 का मौका पर्चा पत्रावली में संलग्न है। निणर्य पत्र भी पत्रावली में संलग्न है जिस पर कोई दिनांक अंकित नहीं है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि यह मकान मूलतः श्री देवीलाल जी सनाढय का था। तथा निगराकार श्री लक्ष्मीनारायण, देवीलाल जी का पुत्र है। अप्रार्थी संख्या 01 श्रीमती इंद्रादेवी पुत्री आनन्दीलाल जी मृतक श्री देवीलाल जी सनाढय की पत्नि है परन्तु निगराकार श्री लक्ष्मीनारायण की माता नहीं है। अतः यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त पैतृक मकान श्री देवीलाल जी का था उसका पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा उसके विधिक वारिसान की कोई जांच नहीं किया जाना पत्रावली से प्रमाणित है तथा पट्टा अकेले श्रीमती इंद्रादेवी पुत्री आनन्दीलाल जी ब्राह्म्ण के नाम जारी किया जाना जाहिर हुआ है। पैतृक मकान का पट्टा अकेले विपक्षी संख्या 02 के नाम पर अन्य विधिक वारिसान की सहमति के बिना जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा विधिक भूल की है।

अतः उपरोक्त विवेचानानुसार ग्राम पंचायत राज्यवास द्वारा जारी विवादित पट्टा संख्या 038 दिनांक 16.11.2021 को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत राज्यावास द्वारा जारी पटटा संख्या 038 दिनांक 16.11.2021 को अपास्त किया जाता है। तथा ग्राम पंचायत राज्यावास श्री देवीलाल सनाढय के विधिक वारिसान की जांच कर पुनः राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के प्रावधानो के अंतर्गत नियमानुसार पट्टा जारी करने हेतु स्वतंत्र रहेगी।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 23.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)